

# राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबर्नेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)

**जबकि**, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है, जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 2,380,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 28,300 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

**जबकि**, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व रहा है; और,

**जबकि**, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने 30 जनवरी, 2020 को COVID-19 को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवाओं के सचिव (United States Secretary of Health and Human Services) ने 27 जनवरी, 2020 को यह घोषणा की थी कि COVID-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक आपात स्थिति प्रस्तुत करता है; और,

**जबकि**, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 प्रकोप को एक वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया, और अब इसने पूरे विश्व में COVID-19 के 300 मिलियन से अधिक पुष्टीकृत मामलों एवं COVID-19 कारण लगभग 5.5 मिलियन मौतों की रिपोर्ट की है; और,

**जबकि**, COVID-19 को रोकने के प्रयासों के बावजूद, वायरस वास्तव में तेज़ी से फैलता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संघीय और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है; और,

**जबकि**, COVID-19 के टीके COVID-19 रोग, विशेष रूप से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी हैं, लेकिन आबादी का एक हिस्सा बिना टीकाकरण के है और कुछ निवासी, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, अभी तक टीका प्राप्त नहीं कर सके हैं; तथा,

**जबकि**, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**जबकि**, 13 मार्च 2020 को राष्ट्रपति ने रॉबर्ट टी. स्टैफ़र्ड आपदा राहत एवं आपातकालीन सहायता अधिनियम (Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act), 42 U.S.C. 5121-5207 के भाग 501 (b) ("Stafford Act") के अनुसरण में, इलिनॉय सहित सभी राज्यों और क्षेत्रों को कवर करते हुए, राष्ट्रव्यापी आपदा घोषित की है; और,

**जबकि**, 26 मार्च 2020 को राष्ट्रपति ने स्टैफ़र्ड अधिनियम (Stafford Act) के अनुभाग 401 के अनुसार इलिनॉय में बड़ी आपदा घोषित की; और,

**जबकि**, 1 अप्रैल, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के विस्फोटक फैलाव के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 30 अप्रैल, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार प्रसार के कारण, अस्पताल के बिस्तरों, ER बिस्तरों, और वेंटिलेटर्स की कमी होने के खतरे के कारण, और अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 29 मई, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार प्रसार के कारण, और परिणामतः वायरस के स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, और परीक्षण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 26 जून, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के और अधिक प्रसार के कारण, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है; और,

**जबकि**, 24 जुलाई, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वाइरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

**जबकि**, 21 अगस्त, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

**जबकि**, 18 सितंबर, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

**जबकि**, 16 अक्टूबर, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

**जबकि**, 13 नवंबर, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के बढ़ते प्रसार, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है; और,

**जबकि**, 11 दिसंबर 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के जारी प्रसार, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों के कारण एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है; और,



**जबकि**, COVID-19 से संबंधित परिस्थितियां तेजी से विकसित होती हैं और नए साक्ष्य प्रकट होते हैं, इनके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी एवं मार्गदर्शन में बारंबार बदलाव किए गए हैं; और,

**जबकि** COVID-19 की अभूतपूर्व प्रकृति, जिसमें न केवल श्वसन तंत्र बल्कि हृदय, मस्तिष्क, गुर्दों, और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले इसके स्वास्थ्य परिणाम शामिल हैं, के कारण इस वायरस के प्रभावों और इसके प्रसार के मार्ग का पूर्वानुमान लगाना कठिन बना दिया है; और,

**जबकि**, डेल्टा संस्करण पहले परिसंचारी उपभेदों की तुलना में अधिक आक्रामक और अधिक पारगम्य है, और वायरस के प्रसार को रोकने और धीमा करने के लिए चल रहे प्रयासों में नए जोखिम पैदा करता है; और,

**जबकि**, डेल्टा संस्करण वायरस के पिछले उपभेदों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है; और,

**जबकि**, ऑमिक्रॉन संस्करण पहले की संस्करणों से अधिक संक्रामक है और जिसके कारण COVID-19 के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय तेजी आई है, और,

**जबकि**, ऑमिक्रॉन संस्करण के तेजी से फैलने के कारण COVID-19 महामारी के दौरान पहले के किसी भी स्थिति की तुलना में पूरे राज्य में अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं; और,

**जबकि**, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

**जबकि**, रोग नियंत्रण और निवारण केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention (“CDC”)) ने पूर्ण रूप से वैक्सीन लगा चुके लोगों के लिए अपने दिशानिर्देश जारी किए हैं,<sup>1</sup> जिसमें इस बात का संकेत दिया गया कि वे बाहर खुले में मास्क पहने बिना या 6 फीट की दूरी बनाए बिना विभिन्न गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं, जबकि पर्याप्त या उच्च संचरण वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से भवन के अंदर मास्क पहनने की सिफारिश की जाती है, साथ ही स्थानीय व्यापार और कार्यस्थल मार्गदर्शन सहित, जहां संघीय, राज्य, स्थानीय, आदिवासी, या क्षेत्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों द्वारा आवश्यक हो; और,

**जबकि**, CDC यह सलाह निरंतर दे रही है कि कपड़े के फ़ेस कवरिंग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं, जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

**जबकि**, CDC सलाह देता है कि K-12 स्कूलों में COVID-19 की रोकथाम के लिए स्कूलों को चाहिए कि CDC के मार्गदर्शन का पालन करें, जो अपने क्षेत्र में आवश्यक स्तरित रोकथाम रणनीतियों को निर्धारित करने के लिए सार्वभौमिक मास्किंग और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करने की सिफारिश करता है; और,

**जबकि**, सीडीसी ने यह सलाह देना जारी रखा है कि डे केयर प्रदाताओं को डे केयर प्रदाताओं और उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखना चाहिए; और

**जबकि**, वायरस से संक्रमित हुए कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं फिर भी वे इसे दूसरों तक फैला सकते हैं; और,

**जबकि**, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो जिनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है और जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है; और,

**जबकि**, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं

---

<sup>1</sup> लोगों को 2 खुराक वाली श्रृंखला जैसे फ़ाइज़र या मॉडर्ना वैक्सीन्स के मामले में अपनी दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद, या एक खुराक वाली वैक्सीन जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का जानसेन वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते बाद, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड माना जाता है। उन लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं माना जाता है, जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, चाहे उनकी उम्र जो भी हो। CDC अनुशंसा करती है कि व्यक्ति अपने COVID-19 टीकों के साथ अद्यतनित रहें, जिसमें उन व्यक्तियों के लिए जो नियमित समय बिंदुओं पर प्रतिरक्षित जोखिम या बूस्टर खुराक के लिए उपयुक्त होते हैं, के लिए अतिरिक्त खुराक शामिल हैं।

लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस की प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

**जबकि**, जिस समय मैंने प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन) जारी की थी तब इलिनॉय की एक काउंटी में COVID-19 के 11 पुष्टीकृत मामले थे; और,

**जबकि**, आज तक, इलिनॉय की सभी 102 काउंटियों में COVID-19 के पुष्टीकृत मामलों की संख्या 2,380,000 से अधिक है; और,

**जबकि**, इलिनॉय में COVID-19 से होने वाली पहली मृत्यु की घोषणा 17 मार्च, 2020 को की गई थी; और,

**जबकि**, आज तक, COVID-19 के कारण इलिनॉय के 28,300 से भी अधिक निवासियों की मृत्यु हो चुकी है; और,

**जबकि**, शुरू से ही, अध्ययन से पता चला है कि हर पुष्ट मामले के साथ और अज्ञात मामले होते हैं, जिनमें से कुछ लक्षण रहित व्यक्ति होते हैं, जो जाने-अनजाने ही दूसरों को वायरस का संक्रमण फैला सकते हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय में COVID-19 के नए मामलों की संख्या में हाल ही में काफी वृद्धि हुई है, और वायरस लगातार बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा है और प्रतिदिन बहुत से इलिनॉयवासियों की जान ले रहा है; और,

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक महामारी सबसे अधिक आबादी वाली काउंटियों तक ही सीमित नहीं है, और राज्य के सभी क्षेत्रों को उल्लेखनीय COVID-19 जोखिम का सामना करना पड़ रहा है; और,

**जबकि**, बिना सावधानियों के COVID-19 तेजी से फैल सकता है, यहां तक कि कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी; और,

**जबकि**, यू.एस. ने कुल 57 मिलियन मामलों और लगभग 825,000 मौतों से अधिक के आंकड़ों को पार कर लिया है; और,

**जबकि**, COVID-19 ने अनुपातहीन रूप से ऊँची दर पर इलिनॉय के अश्वेत और हिस्पेनिक निवासियों की जानें ली हैं और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करना जारी रखा है – जिससे स्वास्थ्य संबंधी विषमताएं एवं असमानताएं उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई हैं; और,

जबकि, इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Department of Public Health) ने अस्पताल संसाधनों के इस्तेमाल एवं क्षमता की आवश्यकता में अचानक बड़े उछाल से बचने के लिए अस्पतालों, स्थानीय स्वास्थ्य विभागों, और आपातकालीन प्रबंधन प्रणालियों के आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों में तालमेल बैठाने के लिए अपनी इलिनॉय आपातकालीन संचालन योजना (Emergency Operations Plan) और आपातकालीन सहयोग कार्य 8 योजना को सक्रिय कर दिया था; और,

**जबकि**, जैसे-जैसे वायरस इलिनॉय में फैला है, राज्य के सामने संकट का बढ़ना जारी है और एक लगातार विकसित होती प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ताकि अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मी और प्रथम प्रतिक्रिया कर्मियों को इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें, और यह लगातार अपडेट होने वाले CDC के मार्गदर्शन के अनुरूप हो; और,

**जबकि**, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, प्रथम प्रतिक्रिया कर्मी, अस्पताल एवं अन्य इकाइयां इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ हो सकें इसे सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के पास अत्यावश्यक आपूर्तियों, जिनमें PPE के साथ-साथ, जैसे कि मास्क, फ़ेस शील्ड, गाउन, एवं दस्ताने शामिल हैं, इनका होना आवश्यक है; और,

**जबकि**, इलिनॉय राज्य एक भंडार बनाकर रखता है, जो मौजूदा PPE आपूर्ति शृंखलाओं और विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों के स्टॉक को सहयोग देता है; और,

**जबकि**, राज्य PPE की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखे हुए है, यदि वे खरीद के प्रयास बाधित हो जाते हैं या इलिनॉय में COVID-19 मामलों में वृद्धि देखी जाती है, तो राज्य को

स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और पहले उत्तरदाताओं के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति की प्राणघातक कमी का सामना करना पड़ सकता है; और,

**जबकि**, इलिनॉय अस्पताल के बिस्तरों और ICU बिस्तरों की एक बड़ी संख्या का उपयोग करना जारी रखे हुए है; और, यदि COVID-19 के मामले बढ़ते हैं, तो राज्य को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है; तथा,

**जबकि**, देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं, जिनमें डेल्टा और ऑमिक्रॉन संस्करणों के परिणामस्वरूप, यदि उपलब्ध हैं, तो कुछ ही ICU बिस्तर उपलब्ध हैं।

**जबकि**, इलिनॉय में अब पूरे राज्य में 7,000 से अधिक COVID-19 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जो महामारी के दौरान किसी भी अन्य बिंदु से अधिक है; और,

**जबकि**, इलिनॉय ने अब तक COVID-19 के लगभग 46 मिलियन कुल नमूनों का परीक्षण किया है; और,

**जबकि**, 28,300 से भी अधिक इलिनॉय वासियों की दुखद मृत्यु का कारण बनने एवं दस हजार और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करने के अलावा, COVID-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को खतरे में डाल रहा है; और,

**जबकि**, पूरे राष्ट्र में, वैश्विक महामारी के आरंभ से अब तक 80 मिलियन से अधिक लोग बेरोज़गारी के दावे दायर कर चुके हैं; और,

**जबकि**, महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए इलिनॉय रोज़गार सुरक्षा विभाग (Department of Employment Security) इस आर्थिक संकट का कई प्रकार से सामना कर रहा है।

**जबकि**, डिपार्टमेंट ऑफ़ कामर्स एंड इकॉनॉमिक अपॉर्च्युनिटी इस आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें COVID-19 संबंधी बंदी के कारण कार्य करने की अत्यंत सीमित क्षमता का अनुभव करने वाले व्यवसायों के लिए बिज़नस इंटरप्शन ग्रांट प्रोग्राम के माध्यम से सहायता देना शामिल है; और,

**जबकि**, राज्य में कई कार्यकारी एजेंसियां COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर महत्वपूर्ण संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती हैं; और,

**जबकि**, कई राज्य एजेंसियों की आने वाले महीनों में अमेरिकी बचाव योजना और कोरोनावायरस राज्य और स्थानीय वित्तीय वसूली निधि को प्रशासित करने में भूमिका होगी; और,

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय कृषि विभाग (IDOA) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए मृत पशु निपटान अधिनियम (Dead Animal Disposal Act) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है, जो COVID-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें पीड़कनाशी (पेस्टिसाइड) लगाने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण संचालित करने की नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और

**जबकि**, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर COVID-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए व्यवसाय व्यवधान अनुदान कार्यक्रम (Business Interruption Grant Program) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, COVID-19 के कारण हुई आर्थिक हानि एवं असुरक्षा ने व्यवसायों की व्यवहार्यता को और आवास, चिकित्सीय देखभाल, भोजन, एवं निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सीधे प्रभावित करने वाले अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधनों की सुलभता को खतरे में डाला है; और,

**जबकि**, COVID-19 स्कूलों के लिए भी असाधारण रूप से बाधाकारी रहा है, इसलिए राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्र गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हों तथा स्कूल छात्रों, शिक्षकों एवं समुदाय के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सक्षम हों; और,

**जबकि**, पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर, और COVID-19 के अपेक्षित निरंतर प्रसार को, तथा संपूर्ण राज्य के लोग आगामी महीनों में जिन निरंतर जारी स्वास्थ्य एवं आर्थिक दुष्प्रभावों का अनुभव करेंगे उन पर विचार करते हुए, इलिनॉय में COVID-19 से संबंधित जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वे इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) के अनुभाग 4 के अंतर्गत एक महामारी आपातकाल एवं एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बनती हैं; और,

**जबकि**, पूर्वोक्त के आधार पर, अस्पताल संसाधनों पर लगातार बना हुआ बोझ, संक्रमणों की संख्या में उछाल आने की स्थिति में राज्य द्वारा इन संसाधनों की संभावित कमी का सामना करने की जारी संभावना, और PPE की खरीद एवं वितरण बढ़ाने के साथ-साथ COVID-19 की परीक्षण क्षमता बढ़ाने की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) के अनुभाग 4 के अंतर्गत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बनाते हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहे और, अतः राज्य के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व उपयुक्त है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उन लोगों की सेवा करने में सक्षम है जो बीमार हैं और यह कि इलिनॉय वासी सुरक्षित एवं महफूज़ रहें; और चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में सक्षम रहें, और,

**जबकि**, इस उद्घोषणा से राज्य ऐसे व्यक्तियों और व्यवसायों की आर्थिक स्थिति को बहाल करने में मदद कर पाएगा, जिन्हें COVID-19 के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसके द्वारा आगे होने वाले विनाशकारी परिणामों से बचा जा सकेगा; और,

**जबकि**, यह उद्घोषणा वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल पर राज्य की प्रतिक्रियाओं और स्थानीय सरकारों की प्रतिक्रियाओं को सहयोग देने के प्रयास के दौरान राज्य एवं संघीय संसाधनों, जिनमें COVID-19 का परीक्षण करने हेतु आवश्यक सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, एवं दवाएं शामिल हैं, इनमें तालमेल बैठाने में इलिनॉय के एजेंसियों की सहायता करेगी; और,

**जबकि**, यह उद्घोषणा इलिनॉय एजेंसियों को राज्य और संघीय वसूली निधियों के समन्वय में सहायता करेगी; तथा,

**जबकि**, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (*Illinois Emergency Management Agency Act*) के अनुभाग 7 के अंतर्गत नई आपदा की उद्घोषणा जारी करने का कानूनी औचित्य प्रदान करती हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय का संविधान, अनुच्छेद V, अनुभाग 8 में, यह प्रदान करता है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के न्यायसंगत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में कहता है कि, इलिनॉय के संविधान का केंद्रीय उद्देश्य है "लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना";

**अब, अतः**, इलिनॉय के लोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इसके द्वारा निम्नगत उद्घोषणा करता हूँ:

**अनुभाग 1.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) के 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं यह पाता हूँ कि इलिनॉय राज्य के भीतर एक आपदा मौजूद है और विशेष रूप से इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ। यह उद्घोषणा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency

Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 में प्रदत्त समस्त आपातकालीन शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं पर उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के उपयोग के प्राधिकार की अनुमति देती है।

**अनुभाग 2.** इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health) और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (Illinois Emergency Management Agency) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल हेतु योजना बनाने और उस पर प्रतिक्रिया देने के संदर्भ में एक-दूसरे के साथ तालमेल रखें।

**अनुभाग 3.** इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health) को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की रणनीतियों और योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों एवं स्थानीय प्राधिकरणों, जिनमें स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण शामिल हैं, के साथ सहयोग करे।

**अनुभाग 4.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (Illinois Emergency Management Agency) को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यक्रमों में स्थानीय सरकारों की सहायता हेतु राज्य के संसाधनों का समन्वयन करने के लिए राज्य आपातकालीन संचालन योजना (State Emergency Operations Plan) कार्यान्वित करे।

**अनुभाग 5.** प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) द्वारा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता देने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध, जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक कि वे संघीय कानून के लिए आवश्यक नहीं हैं। यदि आवश्यक हो तो, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20, ILCS 3305/7(1) के अनुभाग 7(1) के अनुसरण में, राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थगित करने के लिए उपयुक्त सरकारी कार्रवाई कर सकता है।

**अनुभाग 6.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20, ILCS 3305/7(3) के अनुभाग 7(3) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और उनके अभिकरणों या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या कार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को, आवश्यकतानुसार, सक्रिय करती है।

**अनुभाग 7.** इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health), इलिनॉय बीमा विभाग (Illinois Department of Insurance), और इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार सेवाएं विभाग (Illinois Department of Healthcare and Family Services) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे COVID-19 और उसके परीक्षण के लिए विस्तारित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और उपभोक्ताओं को COVID-19 की पहचान करने और उपचार सेवाएं पाने में वित्तीय बाधाओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक कार्रवाइयों की अनुशंसा करें।

**अनुभाग 8.** इलिनॉय राज्य शिक्षा बोर्ड (स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन) को निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से जुड़े अध्ययन के किसी भी दुष्प्रभाव को दूर करने पर ध्यान देने के लिए, और इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान दूरस्थ-शिक्षण, जो इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/1-1 एवं अनुवर्ती, में विद्यमान है, के उपयोग में जो भी बाधाएँ हों उन्हें हटाने के लिए, आवश्यक कार्रवाइयों की अनुशंसा करें, और, उपयुक्ततानुसार, वे कार्रवाइयाँ करें।

**अनुभाग 9.** राज्य के सभी अभिकरणों (एजेंसियों) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के आर्थिक प्रभाव का सामना करने और उससे उबरने की रणनीतियों एवं योजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों का सहयोग करें।

**अनुभाग 10.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20, ILCS 3305/7(14) के अनुभाग 7(14) के अनुसरण में, इलिनॉय राज्य में वस्तुओं या



सेवाओं, जिनमें चिकित्सीय आपूर्तियां, सुरक्षा उपकरण, दवाएं और वे अन्य उपयोगी वस्तुएँ शामिल हैं, जो COVID-19 की रोकथाम या के उपचार और उससे उबरने/स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अभीष्ट हैं, इनके विक्रय मूल्य में इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान वृद्धि करना निषिद्ध रहेगा।

**अनुभाग 11.** यह उद्घोषणा संघीय आपातकालीन और/या आपदा सहायता के अनुरोधों को स्वीकार करना सुगम बना सकती है, बशर्ते क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

अनुभाग 12. यह उद्घोषणा तत्काल प्रभावी होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

**जिसे साक्षी मानकर, मैंने इस दस्तावेज़ पर मेरे हस्ताक्षर किए हैं और इलिनाय राज्य की महान मोहर लगवाई है।**

*इस कार्य को हमारे परमेश्वर के दो हज़ार  
बाईसवें वर्ष और इलिनाय राज्य के  
दोसौचार तथा जनवरी के २० दिनों  
स्प्रिंगफील्ड (Springfield) शहर में  
विधायिका व कार्यपालिका भवन कैपिटल  
में संपन्न किया गया।*

राज्य के सचिव

गवर्नर